बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0- 05/2009 748 खाद्य,पटना/दिनांक- 4·2·2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- जन वितरण प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वर्त्तमान में अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों के द्वारा अनियमितता बरतने एवं अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन के मामले में दुकानों की अनुज्ञप्ति पहले निलंबित की जाती है एवं उसके बाद जिला चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ऐसे अनेक मामलों में अनुज्ञप्ति निलंबन के बाद रद्द करने की कार्रवाई पी0डी0एस0 कन्ट्रोल ऑर्डर- 2001 की धारा- 7(ii) एवं 7(v) के विपरीत मानते हुए रद्द करने संबंधी आदेश को अवैध करार दिया गया है । जिस कारण जन वितरण दुकानदारों को अनुचित लाभ मिल जा रहा है । यहाँ उल्लेखनीय है कि पी0डी0एस0 कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 की धारा- 7(i) में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा पी0यू0सी0एल0- 196/2001 में पारित आदेश के अनुसार कुल पाँच प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अनुज्ञप्ति को रद्द करने का प्रावधान किया गया है । अतः इस प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होने पर जन वितरण दुकानदार की अनुज्ञप्ति निलंबित नहीं कर उनसे कारणपृच्छा पूछ कर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी को दिया जाय । ऐसे मामलो के अभिलेख को जिला चयन समिति में अनुमोदन हेतु भेजने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी ।

अनुरोध है कि अपने जिले में जन वितरण दुकानदारों की जाँच सघन रूप से करायी जाय एवं अनियमितता के मामले में उपर्युक्त निदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

3/2011

प्रधान सचिव ।

D:\Year 2011\Sec-7\P.D.S.doc